हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (विनियम) विभाग

****

संख्या: फिन (सी)-बी (7)-1/2021 तारीख: शिमला-2, 18 अप्रैल, 2026

<u>अधिसूचना</u>

विषय: **वेतन के एक भाग का छह महीने की अवधि के लिए आस्थगन।**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विद्यमान वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मितव्ययी राजकोषीय प्रबन्धन के हित में, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी कर्मचारियों के कतिपय प्रवर्गों के मासिक वेतन के एक भाग को छह मास की अवधि के लिए अस्थायी रूप से आस्थगित करने का आदेश करते हैं जो मई 2026 में संदत्त किये जाने वाले अप्रैल मास के वेतन से प्रभावी होगा ।

आस्थगन का विवरण इस प्रकार है:

1. निम्नलिखित के सन्दर्भ में वेतन का 30% आस्थगित किया जाएगा:
    - मुख्य सचिव
    - अतिरिक्त मुख्य सचिव
    - प्रधान सचिव
    - पुलिस महानिदेशक
    - अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
    - प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
    - प्रधान मुख्य वन संरक्षक
    - अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2. निम्नलिखित के सन्दर्भ में वेतन का 20% आस्थगित किया जाएगा:
    - सचिव
    - विभागाध्यक्ष
    - पुलिस महानिरीक्षक
    - उप पुलिस महानिरीक्षक
    - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
    - पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अन्य पुलिस अधिकारी
    - मुख्य वन संरक्षक
    - वन संरक्षक
    - डीएफओ स्तर तक के अन्य वन अधिकारी

3. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वेतन के संदेय एवं आस्थगित घटकों को ई-वेतन प्रणाली तथा वेतन पर्चियों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।
4. वेतन के आस्थगित भाग की गणना को सभी प्रयोजनों जैसे पेंशन लाभ, छुट्टी नकदीकरण इत्यादि हेतु संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
5. आयकर, एनपीएस/यूपीएस/जीपीएफ अंशदान इत्यादि सहित वैधानिक कटौतियाँ भविष्य में लेखांकन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए लागू नियमों के अनुसार पूर्ण राशि पर ही विनियमित रहेंगी। स्थगित राशि की गणना आयकर, एनपीएस/यूपीएस/जीपीएफ अंशदान और अन्य निश्चित कटौतियों को घटाकर प्राप्त वेतन पर की जाएगी।
6. बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय और अन्य प्रमुख संस्थाएं जो राज्य सरकार से अनुदान या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, उन्हें भी सरकार के अनुरूप इस निर्णय को अपनाना होगा।
7. ऋण की किश्तें चुकाने वाले कर्मचारियों के संबंध में, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:
   - ऐसे कर्मचारी संलग्न प्रारूप में आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को एक वचनबंध प्रस्तुत कर सकते हैं।
   - वचनबंध प्रस्तुत करने पर, ऋण की किस्तों की राशि घटाने के बाद शेष वेतन पर आस्थगन की गणना की जाएगी।
8. वेतन का स्थगित भाग कटौती नहीं माना जाएगा तथा राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के आधार पर, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए इसे बाद की तारीख पर जारी किया जाएगा।
9. यह उपाय अस्थायी प्रकृति का है और वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रयास के रूप में अपनाया जा रहा है। सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

आदेश

(आशीष सिंहमार, आईएएस)
सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन फिन (सी)-बी (7)-1/2021 तारीख: शिमला-2, 18 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।

3. समस्त मंडलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
4. महा पंजीयक, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला-171001
5. प्रधान महालेखाकार (ले० प०), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 ।
6. महालेखाकार (ले० व ह०), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3.
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
9. उपायुक्त, राहत एवं पुनर्वास, व्यास डैम प्रोजेक्ट, राजा का तालाब तलवाड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
10. सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
11. सचिव, हिमाचल प्रदेश. विधान सभा, शिमला-171004.
12. सचिव, लोकायुक्त, पाइन ग्रोव भबन, शिमला-171002.
13. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, निगम विहार, शिमला-171002.
14. सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् नियामक आयोग, शिमला।
15. प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बोर्ड एवं निगम/स्वायत निकाय/सरकारी क्षेत्र उपक्रम/मुख्य सभाएं हिमाचल प्रदेश ।
16. पंजीयक, समस्त विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश।
17. समस्त जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हिमाचल प्रदेश।
18. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 ।
19. गार्ड फाइल।

(सौरभ जस्सल)
विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार

ऋण की किश्तों के संबंध में कर्मचारी द्वारा वचनबंध का प्ररूप

(आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है)

1. कर्मचारी का नाम: ________________________________

2. पदनाम: ____

3. विभाग/कार्यालय: _________________________________

4. कर्मचारी आईपी कोड: _____________________________

5. वेतन स्तर/मूल वेतन: ______________________________

6. पद का वर्गीकरण: _________________________________

7. लिए गए ऋण (ऋणों) का विवरण: ___________________________

क्रम संख्या	ऋण का प्रकार	स्वीकृति प्राधिकारी/संस्थान	कुल ऋण राशि	मासिक किश्त	शेष राशि

8. कुल मासिक ऋण किश्त (किश्तें): ____

वचनबंध

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं वर्तमान में ऊपर विवरण के अनुसार ऋण (लोन) की अदायगी कर रहा/रही हूँ और मासिक किस्तों की नियमित रूप से कटौती/भुगतान किया जा रहा है।

वेतन के एक हिस्से को आस्थगित करने के सम्बन्ध में सरकारी अधिसूचना के सन्दर्भ में, मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझ पर लागू होने वाले आस्थगन की गणना, उपरोक्त ऋण किस्तों की कटौती के बाद शेष बचे वेतन पर की जाए।

मैं और यह वचन देता/देती हूँ कि:

- ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।
- तथ्यों की किसी भी विसंगति या दुर्व्यपदेशन के लिए में स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होउंगी ।
- में ऋण की स्थिति में किसी भी बदलाव, जिसमे ऋण की समाप्ति या क़िस्त की राशि में परिवर्तन शामिल है, के बारे में आहरण एवं संवितरण अधिकारी को तुरंत सूचित करूँगा/करुँगी ।

कर्मचारी के हस्ताक्षर: ____________________

नाम: ___________________________________

तारीख: __________________________________

स्थान: __________________________________

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा **प्रमाणन**

कर्मचारी द्वारा दिए गये विवरण सत्यापित किये जाते है । अनुरोध का परीक्षण किया गया है और ये सही है ।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर: _______________

नाम: ____

पदनाम: _______________________________________

तारीख: _______________________________________